

**भा.कृ.अनु.प. - भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान,
पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र - अविकानगर (राज.)**

फा.नं. 4-1/ फार्म उत्पादन/ अविकानगर/2022

दिनांक: 05-10-2026

फलों की बिक्री हेतु खुली नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान (केंद्र) में आंवला फलों की बिक्री खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 14-10-2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे केंद्र के प्रक्षेत्र फार्म पर होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त दिनांक को आंवला फल खरीदने हेतु बोली में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	विवरण	आंवला फलों का कुल अनुमानित वजन
1.	आंवला फल	225-250 क्विंटल

खुली बोली की शर्तें निम्न प्रकार हैं:

1. खुली बोली लगाने से पहले व्यक्ति/फर्म को सुरक्षित धनराशि के रूप में रुपये 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) नकद जमा करने होंगे। सुरक्षित धनराशि जमा किए बिना बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार आंवला फल क्रय करने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में सायं 4:00 बजे तक प्रक्षेत्र अनुभाग से संपर्क स्थापित कर आंवला फलों का मौके पर निरीक्षण कर सकते हैं।
3. सफल बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल संस्थान के खाते में ऑनलाइन/चेक के माध्यम से जमा करनी होगी। एवं बकाया धनराशि आंवला फलों की तुड़ाई के अनुसार समय-समय पर वाहन बाहर ले जाने से पहले संस्थान के खाते में जमा करवानी होगी तथा 31 जनवरी 2027 तक संपूर्ण आंवला फलों को ले जाना होगा। आंवला फल न ले जाने की स्थिति में उसकी जमानत राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। यदि आंवला फलों पर GST लागू होता है तो बोलीदाता को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा।
4. नीलामी होने के उपरांत आंवला फलों की सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
5. फल तोड़ने के दौरान आंवला के पेड़ों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान होने पर सफल बोलीकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
6. संस्थान के निदेशक महोदय को नीलामी से संबंधित समस्त निर्णय लेने एवं किसी बोली को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. सफल बोलीदाता को आंवला फल ले जाने का गेट पास प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, तदोपरांत ही आंवला फल मुख्य द्वार से ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
8. खुली नीलामी के समय सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपने पूर्ण पते तथा आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर भी अंकित कराएं।
9. आंवला फलों की नीलामी के उपरांत वाहन द्वारा आंवला फल ले जाते समय मुख्य द्वार के पश्चात संस्थान (केंद्र) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नीलामी की यह संपूर्ण सूचना संस्थान की वेबसाइट www.igfri.org.in पर उपलब्ध है।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि:

इंचार्ज ए.के.एम.यू. - आपसे आग्रह किया जाता है कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।